फा0सं011011-2/2017-रा0भा0

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

राजभाषा एकक

....

नई दिल्ली, दिनांक 09 जून, 2017
12

कार्यालय ज्ञापन

विषय: मानव संसाधन विकास मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति का पुर्नगठन।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति का पुर्नगठन किया गया है। पुर्नगठित समिति का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	पदनाम	
1	संयुक्त सचिव (केविवि0एवं भाषाएं)	अध्यक्ष
उच्चतर शिक्षा विभाग		
2	निदेशक, (रा0भा0)	सदस्य सचिव
3	निदेशक/उप सचिव, (प्रशासन)	सदस्य
4	निदेशक/उप सचिव (समन्वयन), तकनीकी शिक्षा ब्यूरो	सदस्य
5	निदेशक/उप सचिव (समन्वयन), एनआईटी और डी.एल. ब्यूरो	सदस्य
6	निदेशक/उप सचिव (समन्वयन), केविवि0 एवं भाषाएं ब्यूरो	सदस्य
7	निदेशक/उप सचिव (समन्वयन),आईसीसी और योजना ब्यूरो	सदस्य
8	निदेशक/उप सचिव (समन्वयन), उच्चतर शिक्षा ब्यूरो	सदस्य
9	निदेशक/उप सचिव (समन्वयन), आर्थिक कार्य ब्यूरो	सदस्य
10	निदेशक/उप सचिव (समन्वयन), सांख्यिकी ब्यूरो	सदस्य
स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग		
11	निदेशक/उप सचिव (समन्वयन), स्कूल शिक्षा-1 ब्यूरो	सदस्य
12	निदेशक/उप सचिव (समन्वयन), स्कूल शिक्षा-2 ब्यूरो	सदस्य
13	निदेशक/उप सचिव (समन्वयन), प्रारंभिक शिक्षा-1 ब्यूरो	सदस्य

... 2/-

14	निदेशक/उप सचिव (समन्वयन), सर्व शिक्षा अभियान (SSA)	सदस्य
15	निदेशक/उप सचिव (समन्वयन), एम.डी.एम.	सदस्य
16	निदेशक/उप सचिव (समन्वयन), आर.एम.एस.ए.	सदस्य
17	निदेशक/उप सचिव (समन्वयन), प्रौढ़ शिक्षा और स्कूल शिक्षा	सदस्य

2. यह समिति गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 12019/86/2014-रा.भा.(का02) (प्रति संलग्न) के अंतर्गत इस समिति के लिए निर्धारित विषयों के साथ-साथ **मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा इसके अंतर्गत आने वाले कार्यालयों के प्रमुखों/प्रतिनिधियों को बैठक में समय-समय पर आमंत्रित करके उनके कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के संबंध में सरकार दवारा जारी आदेशों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा करेगी।**

3. इस समिति की प्रत्येक तिमाही में बैठक की जाएगी। समिति के सभी सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस समिति की बैठक में अवश्य भाग लें तथापि किसी कारणवश वे इस इस बैठक में भाग लेने में असमर्थ हों, तो समिति के अध्यक्ष की पूर्वानुमति से अन्य किसी वरिष्ठ अधिकारी को बैठक के लिए नामित कर सकते हैं।

(सुनीति शर्मा)
निदेशक (रा0भा0)
दूरभाष: 23384276
इंटरकाम नं. 770

वितरण:-

1. समिति की सभी सदस्य।
2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दोनों विभागों के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालय/विश्वविद्यालय/संस्थान आदि।
3. सचिव, उच्चतर शिक्षा के निजी सचिव।
4. सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता के निजी सचिव।
5. संयुक्त सचिव (केविवि0एवं भाषाएं) के निजी सचिव।
6. सीएमआईएस यूनिट को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
7. गार्ड मिसिल।

(सुनीति शर्मा)
निदेशक (रा0भा0)

संख्या : 12019/86/2014-रा.भा.(का0-2)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

* * *

बी विंग, चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-2 भवन, जय सिंह रोड,

नई दिल्ली-110001, दिनांक 10 जून, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय : मंत्रालयों/विभागों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों हेतु विचारणीय मुद्दे ।

राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए का.ज्ञा. संख्या 12024/1/87-रा.भा.(ख-2) दिनांक 21-01-88 के अंतर्गत राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से कराने के लिए समुचित निदेश दिए गए थे । राजभाषा विभाग के संज्ञान में आया है कि इन समितियों की बैठकों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में अपेक्षित एवं प्रभावशाली चर्चा नहीं हो पा रही है ।

2. उपरोक्त स्थिति के संबंध में राजभाषा विभाग ने यह निर्णय लिया है कि सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध किया जाए कि वे उक्त बैठकों में निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा अवश्य करें :-

(i) धारा(3) के अंतर्गत सभी कागजात द्विभाषी जारी करना

(ii) हिंदी में पत्राचार की स्थिति

(iii) हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना ।

(iv) फाइलों पर हिंदी में टिप्पण देना ।

(v) हिंदी(भाषा, टंकण व आशुलिपि) का प्रशिक्षण

(vi) वेबसाईट पूरी तरह से द्विभाषी बनाना और अद्यतित रखना ।

(vii) विभागीय आई.टी. सिस्टमों में हिंदी में कार्य करने की सुविधा व इसका प्रयोग सुनिश्चित कराना ।

(viii) कोड/मैनुअल आदि पूरी तरह से द्विभाषी बनाना ।

(ix) सभी कम्प्यूटरों पर द्विभाषी सुविधा(यूनिकोड में) उपलब्ध कराना ।

(x) राजभाषाई निरीक्षणों की स्थिति ।

(xi) अनुभागों को अपना पूरा काम हिंदी में करने के लिए अधिसूचित करना ।

(xii) मंत्रालय/विभाग से संबंधित अन्य विशेष मुद्दे ।

3. राजभाषा विभाग की वेबसाईट पर यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है कि मंत्रालय/विभाग समिति की हुई बैठक की तिथि, कार्यवृत्त तथा बैठक में लिए गए निर्णयों पर टिप्पण अपलोड कर सकते हैं और आगामी बैठक की प्रस्तावित तिथि भी भर सकते हैं ।

10/6/2014

(हरिन्द्र कुमार)

निदेशक(कार्यान्वयन)

प्रतिलिपि प्रेषित

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त कार्यालय ज्ञापन को अपने संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों आदि में परिचालित कर अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित कराएं ।
2. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक(एन.आई.सी.) को इस अनुरोध के साथ कि वे उपर्युक्त मद 03 पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराएं ।